भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2854

जिसका उत्तर 12 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

बेंगलुरु सेंट्रल में अपशिष्ट प्रबंधन समस्या

2854. श्री पी. सी मोहनः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जल शक्ति अभियान के अंतर्गत बेंगलुरु सेंट्रल में अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी समस्याओं, विशेषकर झीलों में झाग होने, के समाधान के लिए कोई विशेष धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): जल राज्य का विषय है और मौजूदा मानकों के अनुसार, जल निकायों की गुणवत्ता बनाए रखने सहित उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों (यूएलबी) की है। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान, जिसमें देश भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों को कवर किया गया है, विशेष रूप से वर्षा जल संचयन और केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों की विभिन्न योजनाओं जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली घटकों, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा), वित्त आयोग अनुदान आदि से एक संमिलित वित्त पोषण के माध्यम से जल संरक्षण कार्य से जुड़ा एक वार्षिक अभियान है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने विभिन्न दिशानिर्देशों को जारी करने और राष्ट्रीय मिशनों यानी अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत 2.0 के कार्यान्वयन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पानी के स्थायी प्रबंधन की दिशा में कई कदम उठाए हैं। मंत्रालय द्वारा जल शक्ति अभियान के अंतर्गत बेंगलुरू सेंट्रल के लिए कोई विशेष धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

*****